

पत्तावली पेशा दुर्ग वकील पद्मकारान
 दाखिल वकील वादी में प्रतिवादी न.
 18 ता 23, 25 ता 28, 30 की तबखी हेतु
 तबखाना पेशा नहीं किया है। डॉक्टर
 के अवलोकन से काल हुआ कि
 वकील वादी को दिनांक 16.1.14 को
 आदेशित किया गया है कि वह प्रतिवादी
 की तबखी हेतु समस्त तबखाना पेशा की
 वकील वादी से बाद-बाद उपस्थित
 किये जायेंगे के बाद भी आदेशों के
 पालन वकील में तबखाना पेशा नहीं किया
 है। अतः वादीगण का बाद अंतर्गत
 Order 9 Rules 5 CPC में स्पष्टिज किया
 जाता है। पत्तावली फंडल शुमार होकर
 नम्बर से कम की दाखिल उपर की
 आदेशों शुद्ध न्यायालय में दुनया गया

(निधि सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी
 रामगढ़ शेखावाटी